न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 214/2011

कर्मजीत कौर पत्नी जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थी

बनाम

1. विद्या देवी बेवा कृष्ण लाल
2. भूप सिंह पुत्र कृष्ण लाल
3. गोपीराम पुत्र कृष्ण लाल
4. माया देवी पत्नी साहब राम पुत्र कृष्ण लाल
5. मीरा देवी पुत्री कृष्ण लाल
6. संतरो पुत्री साहब राम पुत्र कृष्ण लाल
7. बंटी पुत्र साहब राम

जाति नाई निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़

8. फत्ती पत्नी मनीराम पुत्री चेतराम जाति नाई निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. देवीलाल पुत्र राजाराम उर्फ रूपराम जाति नाई निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. सोहन लाल पुत्र पूर्ण राम जाति गुसांई निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार हनुमानगढ़।

----रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ दिनांक 29.01.2011,
प्र. सं. 36/2005

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः—

श्री बलविन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट

श्री रविन्द्र कुमार भोभिया, राजकीय अभिभाषक

निर्णय   दिनांक 17.12.2020

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत पेश कर निवेदन किया कि गांव किशनपुरा दिखनादा के चक 18 के एस पी के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 11 से 14, मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 13 से 20, मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 16, 17, 23 से 25 की 17 बीघा भूमि मु. किस्तुरी की 1/3, फत्ती की 1/3, राजाराम उर्फ रूपराम की 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रत्येक का 5.13 बीघा का हक व हिस्सा बनता है। तीनों हिस्सेदारों ने घरू बंटवारा कर रखा है। बंटवारा के अनुसार किस्तुरी को पत्थर नम्बर 130/121 के किला नम्बर 16, 17, 23 से 25, पत्थर नम्बर 131/321 के किला नम्बर 20 में 13 बिस्वा कुल 5.13 बीघा, फत्ती के हक में 5.13 बीघा, राजाराम के कब्जा में पत्थर नम्बर 132/321 के किला नम्बर 11 से 14, पत्थर नम्बर 131/321 के किला नम्बर 13, 14 की कुल 5.14 बीघा भूमि पर काबिज काश्त है। वादी ने अपने वाद में यह घोषणा चाही है कि वादीगण चक 18 के एस पी के पत्थर नम्बर 130/321 के किला नम्बर 16, 17, 23, 24, 25, पत्थर नम्बर 131/321 के किला नम्बर 20 में 13 बिस्वा कुल [illegible] रिकार्ड में किस्तुरी के हक व हिस्सा की थी [illegible] होने से खातेदार काश्तकार है एवं इसी भूमि के [illegible] करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. वाद पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब दावा पेश कर कथन किया कि राजाराम की मृत्यु होने के पश्चात् उसके 1/3 हिस्से का इन्तकाल उसके दो पुत्रों देवीलाल व कृष्ण के नाम दर्ज हुआ। किस्तुरी के लाऔलाद फौत होने के पश्चात् विरास्तन इन्तकाल उसके नाम की 1/3 हिस्सा की भूमि सह–खातेदार फत्ती व संयुक्त रूप में देवीलाल व कृष्ण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। इस प्रकार फत्ती प्रतिवादी संख्या 1 इस खाता की 4.301 हैक्टेयर भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात 8.10 बीघा भूमि की अभिलिखित खातेदार हो गई। देवीलाल के द्वारा अपने हिस्सा में से 0.358 हैक्टेयर भूमि सोहन लाल को विक्रय कर दी जिसका इन्तकाल दर्ज हो गया। इस इन्तकाल की जानकारी देवीलाल व कृष्ण लाल तथा वादीगण को रही है जिन्होनें किस्तुरी के नाम 1/3 हिस्से का इन्तकाल उक्तांनुसार अपने नाम दर्ज करवाया है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में इस तथ्य से इन्कार किया कि किस्तुरी के द्वारा 5.13 बीघा भूमि दिनांक 18.07.1974 को कृष्ण लाल को बेचने का सौदा किया हो एवं कब्जा कृष्ण लाल को सौंपा हो। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में यह भी अंकित किया है कि कोई घरेलू बंटवारा नहीं हुआ। भूमि संयुक्त खाता में है। किस्तुरी ने कृष्ण लाल के पक्ष में कोई ईकरारनामा नहीं किया है। कब्जा पूर्ववत किस्तुरी व फत्ती का चला आ रहा है। वादीगण ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर जो तथ्य अंकित किये हैं वे बेबुनियाद है। सह–खातेदारी भूमि पर प्रत्येक खातेदार का हक व हिस्सा होता है एवं वाद को खारिज करने का निवेदन किया।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने दावा व जवाब दावा के आधार पर पांच तनकियात कायम की गई।

4. उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ ने सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक 29.07.2011 को वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:17 IST
Reason: SelfAttested

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि का बेचान कभी भी वादीगण को नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वादीगण को जो खातेदार घोषित किया है वह विधि विरूद्ध है। संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सह–खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक व अधिकार होता है और न ही एक सह–खातेदार के विरूद्ध दूसरे सह–खातेदार के पक्ष में प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त लागू होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जा के आधार पर जो खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं वह विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे। अपने पक्ष में समर्थन में वकील अपीलांट ने डी एन जे 2019(एससी) 525, 84, आर आर टी 2006 (1) 190, आर आर टी 2014–15 (Supp.) 514, डी एन जे 2005 (एससी) 603, आर आर टी 2003 (1) 366, आर आर टी 2018 (1) 175, आर आर डी 2011, 261, आर आर टी 2017 (2) 1139, आर आर डी 2018, 715 की नजीरें पेश की।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित 5.13 बीघा भूमि किस्तुरी की भूमि पर कृष्ण लाल का कब्जा प्रतिकूल हो चुका है जिसकी खातेदारी घोषणा का कृष्ण लाल के वारिसान के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया है, जिसमें कोई विधिक भूल नहीं हुई है। वकील रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2017(4) सीसीसी 546 एससी, 2020 (1) सीसीसी 388 राजस्थान, 2015 (3) सीसीसी 358

Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हिमाचल प्रदेश, 2018(Supp.) सीसीसी 749 हिमाचल प्रदेश, 2018 (2) आर एल डब्ल्यू 1566 राजस्थान की नजीरें पेश कर कथन किया कि सह–खातेदार के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

8. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय तो किया है, लेकिन तनकी के निष्कर्ष में अपना मत मात्र दो लाईनों में ही देकर वादी के पक्ष में निर्णित की है। वादीगण के हक में तनकी किस प्रकार से साबित होती है यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में खातेदारी प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वकील रेस्पोडेंट ने ऐसा कोई भी न्याय दृष्टान्त पेश नहीं किया जिसके अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हो। वकील रेस्पोडेंट ने जो संयुक्त खातेदारी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जाने के न्याय दृष्टान्त पेश किये है वे राजस्थान के न होकर अन्य प्रदेश में है। राजस्थान सरकार में भूमि का मालिक तहसीलदार या राज्य सरकार होता है, जबकि पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश में काश्तकार का मालिकाना हक भूमि पर होता है। ऐसी स्थिति में वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त मेरे विनम्र मत से प्रकरण के तथ्यों से मेल नहीं खाने से लागू नहीं होते है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों अनुसार प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रदान नहीं किये जा सकते। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करने में विधिक भूल की है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 29.07.2011 निरस्त किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17/12/20 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.12.20

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 214/2011

कर्मजीत कौर पत्नी जगदेव सिंह जाति जटसिख निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलार्थी

बनाम

1. विद्या देवी बेवा कृष्ण लाल
2. भूप सिंह पुत्र कृष्ण लाल
3. गोपीराम पुत्र कृष्ण लाल
4. माया देवी पत्नी साहब राम पुत्र कृष्ण लाल
5. मीरा देवी पुत्री कृष्ण लाल
6. संतरो पुत्री साहब राम पुत्र कृष्ण लाल
7. बंटी पुत्र साहब राम

(क्रमांक 1 से 7) जाति नाई निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़

8. फत्ती पत्नी मनीराम पुत्री चेतराम जाति नाई निवासी मानुका तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. देवीलाल पुत्र राजाराम उर्फ रूपराम जाति नाई निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. सोहन लाल पुत्र पूर्ण राम जाति गुसांई निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार [illegible]।

––रेस्पोडेंट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ दिनांक 29.01.2011,
प्र. सं. 36/2005

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री बलविन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट, श्री रविन्द्र कुमार भोभिया, राजकीय अभिभाषक की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 29.07.2011 निरस्त किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 17.12.2020 को जारी की गई।

17.12.20

(करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:56:17 IST
Reason: SelfAttested